श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कोलकाता द्वारा वाद संख्या–O.A. No.-59/2020 E.Z. में दिनांक–12.07.2022 को आदेश पारित किया गया है कि राज्य सरकार समृद्ध एवं प्राचीन सारंडा साल वन को वन्य प्राणी आश्रयी घोषित करे;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, कोलकाता द्वारा वाद संख्या O.A.No-59/2020/EZ में दिनांक–12.07.2022 को पारित आदेश में राज्य सरकार को सारण्डा वन को वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित करने पर विचार करने हेतु निदेशित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारंडा वन प्रमण्डल ने ज्ञापांक–1584/18.07.2022 द्वारा इसकी सूचना वन संरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दे दिया है, परन्तु अभी तक सारंडा वन को वन्य प्राणी आश्रयी घोषित करने की कार्रवाई नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिनांक 12.07.2022 के आदेश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के द्वारा सारण्डा वन को वन्यप्राणी आश्रयणी घोषित किये जाने की आवश्यकता/औचित्य पर अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्देश क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन जमशेदपुर को दिया गया। तदआलोक में वन्यजीव गणना एवं अन्य संबंधित बिन्दुओं के संदर्भ में डाटा संग्रहण का कार्य सारण्डा वन प्रमंडल के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस कार्य में भारतीय वन्यजीव संस्थान से भी सहयोग प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि सारंडा वन में अनेक वन्य प्राणी है, जिसमें चौसिंधा भी है, जिसके संरक्षण योजना पर काफी राशि खर्च हुई है;	स्वीकारात्मक। सारण्डा वन प्रमण्डल में उपलब्ध प्रलेखी साक्ष्य एवं वनकर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन तथा प्रमण्डल स्तर पर अविरत वन्यप्राणी गणनानुसार सारण्डा वन प्रमण्डल में अनेक वन्यप्राणी की उपस्थिति पायी गयी है, जिसमें हाथी, तेन्दुआ, सांभर, चीतल एवं चौसिंघा प्रमुख है। चौसिंघा संरक्षण हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विजय–2 प्रोजेक्ट के स्टेज 2 की शर्त के अंतर्गत चौसिंघा संरक्षण योजना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के स्तर से अनुमोदित है। उक्त योजना कुल बजट 8.48 करोड़ है जिसे 10 वर्षों में क्रियान्वयन किया जाना है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021–22 से प्रयोक्ता अभिकरण (टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट लिमिटेड) द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल के निर्देश में किया जा रहा है। इस योजना पर अभी तक लगभग 14.095 लाख व्यय किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि सारंडा वन क्षेत्र में चौसिंधा सहित अन्य वन्य प्राणियों की कितनी संख्या है और सरकार सारंडा वन को वन्य प्राणी आश्रयी घोषित करने की अधिसूचना जारी करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	सारण्डा वन प्रमंडल अन्तर्गत की गयी वन्यप्राणी गणना एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के सहयोग से डाटा विश्लेषण के उपरांत वन्यजीव आश्रयणी घोषित करने के संदर्भ में विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 अ0सू0 प्रश्न–14/2024– 610 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2715, दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।